

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

संख्यांक- 1000

दिनांक- 18/04/2023

प्रबंधक,

जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल
धनबाद ।

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 08.04.2023 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की दिनांक 08.04.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये गये निर्णय के आलोक में जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, धनबाद को शैक्षणिक सत्र. 2023-2024 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालक/ बालिकाओं के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालक/बालिका के लिए, विद्यालय की अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेंगे और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक/बालिका या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक/बालिका को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - XVII. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - XVIII. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा;
 - XIX. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

GD Goenka Public School, Dhanbad

Farween
Principal

Pr Singh

MANAGER
GD GOENKA PUBLIC SCHOOL
DHANBAD (JHARKHAND)

- xx. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- xxi. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- xxii. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित कर लेंगे।
- xxiii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे; और
- xxiv. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालयों के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
- 10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं —
 - xxi. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - xxii. कुल निर्मित क्षेत्र
 - xxiii. क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
 - xxiv. कक्षाओं की संख्या
 - xxv. प्रध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डागार के लिए कक्ष
 - xxvi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - xxvii. पेयजल सुविधा
 - xxviii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
 - xxix. बाधारहित पहुँच
 - xxx. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर -मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
- 12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
- 14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
- 15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन

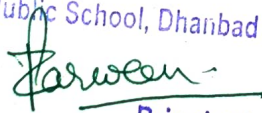
करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 44 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

18/04/23
जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद

GD Goenka Public School, Dhanbad


Principal



MANAGER

GD GOENKA PUBLIC SCHOOL
DHANBAD (JHARKHAND)